



क्षेत्रीय कार्यालय  
REGIONAL OFFICE  
कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

संख्या/ No. \_\_\_\_\_

दिनांक/Dated \_\_\_\_\_

सेवा में/To

1. मैसर्स/M/s \_\_\_\_\_

2. श्री/Sh. \_\_\_\_\_

महोदय/Dear Sirs,

आपको सूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (इसके बाद इसे अधिनियम कहा गया है) की धारा 39 के साथ पठित धारा 40 के अधीन, अधिनियम के अंतर्गत व्याप्त किसी कारखाने/स्थापना के प्रधान नियोजक द्वारा यथा संशोधित कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 51 में उल्लिखित दरों पर, प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में नियोजक अंशदान तथा कर्मचारी अंशदान दोनों की अदायगी की जानी अपेक्षित है। कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 29, 31 तथा 33 के अनुसार, अंशदान, निर्धारित कालावधि के अंदर इस प्रयोजन के लिए निगम द्वारा प्राधिकृत बैंक में जमा किया जाना अपेक्षित है जब तक कि इसके लिए अन्यथा न कहा गया हो।

I have to state that under Section 40, read with Section 39 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (hereinafter referred to as the Act), the Principal Employer of the factory/establishment covered under the Act, is required to pay, in respect of every employee, both the employer's contribution and the employee's contribution at the rates specified in Rule 51 of the E.S.I (Central) Rules, 1950 (as amended). The contributions are required to be paid in terms of Regulation 29,31 and 33 of the ESI (General) Regulations 1950 into a bank duly authorized by the Corporation, except where otherwise provided, and within the periods laid down for the purpose.

कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 26 के अधीन यथा-उल्लिखित अंशदानों की एक विवरणी प्रपत्र 6 में, बैंक में जमा राशि की प्राप्ति के चालान की रसीदी प्रतियों सहित, प्रत्येक अंशदान अवधि की समाप्ति पर निगम के शाखा कार्यालय में भेजी जानी है।

A Return of Contributions is to be submitted in Form 6 along with receipted copies of Challans for the amounts deposited in the Bank, to the Branch Office of the Corporation at the expiry of each contribution period as specified under Regulation 26 of the ESI (General) Regulations, 1950.

1. कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 31 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार अंशदान की अदायगी करने में विफल रहने पर अंशदानों की अदायगी करने में चूक या विलंब के प्रत्येक दिन के लिए अंशदान के बकायों पर प्रधान नियोजक द्वारा क.रा.बी. (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 31 के अंतर्गत 19.10.1989 तक 6% प्रतिवर्ष की दर से 20.10.1989 से 31.08.1994 तक 12% प्रतिवर्ष की दर से और 01.09.1994 से 30.09.05 तक 15% तथा 1.10.05 से आगे 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय है। क.रा.बी. अधिनियम या उसके अधीन बनाये गए विनियमों के अधीन देय किसी भी ब्याज की वसूली क.रा.बी. अधिनियम की धारा 45 ग से 45 झ के अधीन भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी।

In case of failure to pay contributions in accordance with Regulation 29 read with Regulation 31 of ESI (General) Regulations 1950; interest @ 6% per annum up to 19.10.1989 @ 12% w.e.f. 20.10.89 to 31.8.94 @ 15% from 1.9.94 to 30.9.05 and 12% from 1.10.05 onwards under Regulation 31 A of the ESI (General) Regulations 1950 is also liable to be paid by the principal employer on the arrears of contributions for each day of default or delay in payment of contributions. Any interest payable under the ESI Act or the Regulations framed thereunder may be recovered as arrears of land revenue under section 45 C to 45 I of the ESI Act.

2. सूचना क्षेत्रीय निदेशक/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के समक्ष प्रस्तुत की गई है और उस पर विचार करने पर उनके समक्ष यह विश्वास करने का आधार है कि :-

Information has been laid before the Regional Director /Joint Director/Deputy Director/Asstt. Director of ESI Corporation and on consideration whereof he has reason to believe:-

(1) आपने कानूनी उपबंधों के अनुसार अंशदान की अभी तक अदायगी नहीं की है तथा अंशदान विवरणी भी नहीं भेजी है।

That you have so far not paid the contributions as per provisions of the Law and have also not submitted return of contributions:-

से/From \_\_\_\_\_ तक / to \_\_\_\_\_

से/From \_\_\_\_\_ तक / to \_\_\_\_\_

(2) आप अपने रिकार्ड के आधार पर परिकल्पित उपर्युक्त अवधियों के लिए अपने कर्मचारियों के संबंध में वास्तव में देय अंशदान के किसी प्रकार के विवरण देने में विफल रहे हैं।

That you have failed to furnish any particulars of the contributions actually due in respect of your employees for the above said periods as worked out on the basis of your records.

(3) जिस बीमा निरीक्षक ने दिनांक -----को आपके कारखाने/स्थापना का दौरा किया था, उसके सामने आप देय अंशदान के संगत रिकार्डों को प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं।

That you have failed to produce the relevant records of contributions payable, before the Insurance Inspector, who visited your factory/establishment on \_\_\_\_\_.

(4) आपने इस कार्यालय के पत्र संख्या -----दिनांक----- में यथा उल्लिखित -----से----- तक की अवधि के लिए अंशदान के बकायों की अदायगी नहीं की है।

You have also not paid arrears of contribution for the period from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_ as pointed out in this office letter No. \_\_\_\_\_ dated-----

3. कृपया ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 45क के अधीन यदि कोई कारखाना/स्थापना धारा 44 के उपबंधों के अनुसार किसी प्रकार की विवरणी, विवरण, रजिस्टर अथवा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करता, भेजता या रखता तो निगम इस संबंध में उपलब्ध सूचना के आधार पर आदेश द्वारा कारखाना/स्थापना के कर्मचारियों के संबंध में देय अंशदान की राशि अवधारित कर सकता है तथा उक्त अधिनियम की धारा 45ग से 45झ के अधीन वसूली की जा सकती है।

Please note that under Section 45-A of the Act, where in respect of a factory/establishment no returns, particulars, registers or records are submitted, furnished or maintained in accordance with the provisions of Section 44, the Corporation may, on the basis of information available to it, by an order determine the amount of contributions payable in respect of employees of such factory/establishment and the same can be caused to be recovered under Section 45 C to 45 I of the said Act.

4. तथा जबकि, अधिनियम की धारा 45क के अधीन आपके कारखाने/स्थापना के कर्मचारियों के संबंध में देय अंशदान की राशि अवधारित करने तथा वसूल करने का प्रस्ताव है जो निम्न प्रकार है:-

And whereas it is proposed to determine and recover the amount of contribution payable in respect of the employees of your factory/establishment under Section 45 A of the Act as under:-

क्र.सं. Sl.No.	देयों की प्रकृति Nature of dues	अवधि Period	देय अंशदान की राशि Amount of contribution payable	गणना का आधार Basis for calculation
1.	2.	3.	4.	5.

तथा, जबकि उक्त अवधारण तथा वसूली के विरुद्ध मैसर्स ----- को कारण बताने का एक अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव है।

And whereas it is proposed to afford M/s \_\_\_\_\_ an opportunity to show cause against the said determination and recovery.

कृपया 30 दिन के अंदर बताएं कि यथा प्रस्तावित निर्धारण क्यों न किया जाए। यदि आपको कोई आपत्ति है तो आपको इसके विरुद्ध स्पष्टीकरण देने तथा/या ऊपर उल्लिखित समय के अंदर उपर्युक्त अवधि के लिए आपके रिकार्ड के अनुसार देय वास्तविक अंशदान के पूरे ब्योरे देते हुए एक विवरण पेश करने का अवसर दिया जाता है। यदि आप अपना पक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आप अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ दिनांक ----- को ----- बजे पूर्वाह्न/अपराह्न स्वयं या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अधिकारी के सामने उपस्थित हों।

Please show cause within 30 days hereof as to why assessment should not be made as proposed above. In case you have any objections, you are hereby given an opportunity to explain the same and / or to file a statement giving full particulars of the contributions actually due as per your records for the above said period within the time specified above. In case you desire to represent your case personally you may appear before the undersigned in person or through an authorized representative on \_\_\_\_\_ at \_\_\_\_\_ AM/PM with necessary documents to explain your case.

5. कृपया ध्यान रखें कि जब तक आप उपर्युक्त निर्धारित समय के अंदर इस कार्यालय को संदर्भगत कालावधि के लिए वास्तविक देय बताते हुए ऊपर पैरा 4 में यथा उल्लिखित स्प टीकरण तथा/या कोई बयान प्रस्तुत नहीं करेंगे, यह कार्यालय गुण-अवगुण के आधार पर मामले में अगली कार्रवाई करेगा तथा अधिनियम की धारा 45क के अधीन एक आदेश पारित किया जाएगा तथा आपकी ओर से देय अंशदान की राशि अवधारित की जाएगी तथा देय राशि की अदायगी में चूक या विलंब के प्रत्येक दिन के लिए देय अंशदान के बकायों पर कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 31क के अंतर्गत 19.10.1989 तक 6% की वार्षिक दर से, 20.10.1989 से 31.08.1994 तक 12% की दर से तथा 01.09.1994 से 30.09.05 तक 15% तथा 01.10.05 से 12% की वार्षिक दर से ब्याज सहित उक्त राशि क.रा.बी. अधिनियम, 1948 की धारा 45ग से 45झ के अधीन भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

Please take notice that unless your explanation and/or a statement as mentioned in para 4 above giving the actual dues for the periods in question is submitted to this office within the time specified as above, this office shall proceed with the case on merits and an order shall be passed under Section 45 A of the Act determining the amount of contributions due from you together with the interest payable on the said amount for each day of default or delay in payment of contribution @ 6% per annum up to 19.10.1989, @ 12% w.e.f. 20.10.1989 to 31.08.1994 @ 15% from 1.9.94 to 30.9.05 and 12% from 1.10.05 onwards under Regulation 31 A of ESI (General) Regulations, 1950 and the same shall be recovered as arrears of Land Revenue under Section 45 C to 45 I of the Act.

भवदीय/yours faithfully,

\*जो लागू न हो उसे काट दें

\*Delete the part, which is not applicable.

सहायक/उपनिदेशक  
**ASSTT./DY.DIRECTOR**

टिप्पणी : यदि आप राशि की अदायगी पहले ही कर चुके हैं तो कृपया चालान संख्या, अदायगी की तारीख तथा बैंक का नाम सूचित करें।

**NOTE:** In case you have already paid the amount please intimate the Challan number, date of payment and the name of the bank.

यदि आप प्रधान नियोजक नहीं हैं या अब प्रधान नियोजक नहीं रहे तो आपसे निवेदन है कि आप के पद पर न रहने की तारीख सूचित करें।

In case you are not the Principal Employer or have ceased to be the Principal Employer, you are requested to intimate the date from which you ceased to be the Principal Employer.

चेतावनी: कृपया ध्यान रहे कि समय पर अंशदानों की अदायगी करने में विफल रहना अधिनियम की धारा 85 तथा 85ख के उपबंधों को प्रवृत्त करता है तथा आप अभियोजन तथा हर्जानों की अदायगी के भागीदार बन सकते हैं जो बकायों की राशि के बराबर हो सकता है।

**WARNING:** Please note that failure to pay contributions in time attracts provisions of Sec.85 and 85 B of the Act, rendering you liable for prosecution and payment of damages which may be equal to the amount of arrears.

"निगम हिंदी पत्राचार का स्वागत करता है"

अनुलग्नक -क  
Annexure -A  
पंजीकृत पावती देय  
Regd.A.D.  
सी-18 वास्तविक आधार पर  
C-18 Actual Basis



क्षेत्रीय कार्यालय  
REGIONAL OFFICE  
कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

संख्या/No:

दिनांक/Date\_\_\_\_\_

सेवा में/To

1. श्री/Sh\_\_\_\_\_
2. मैसर्स /M/s\_\_\_\_\_

महोदय/Dear Sir,

आपको सूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (इसके बाद इसे अधिनियम कहा गया है) की धारा 39 के साथ पठित धारा 40 के अधीन, अधिनियम के अंतर्गत व्याप्त किसी कारखाने/स्थापना के प्रधान नियोजक द्वारा यथा संशोधित कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 51 में उल्लिखित दरों पर, प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में नियोजक अंशदान तथा कर्मचारी अंशदान दोनों की अदायगी की जानी अपेक्षित है। कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 29, 31 तथा 33 के अनुसार, अंशदान, निर्धारित कालावधि के अंदर, इस प्रयोजन के लिए निगम द्वारा प्राधिकृत बैंक में जमा किया जाना अपेक्षित है जब तक कि इसके लिए अन्यथा न कहा गया हो।

I have to state that under Section 40, read with Section 39 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (hereinafter referred to as the Act), the Principal Employer of the factory/establishment covered under the Act, is required to pay, in respect of every employee, both the employer's contribution and the employee's contribution at the rates specified in Rule 51 of the E.S.I (Central) Rules, 1950 (as amended). The contributions are required to be paid in terms of Regulation 29,31 and 33 of the ESI (General) Regulations 1950 into a bank duly authorized by the Corporation, except where otherwise provided, and within the periods laid down for the purpose.

1- प्रत्येक अंशदान अवधि की समाप्ति पर कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 26 में यथा-निर्दिष्ट, निगम के शाखा कार्यालय को बैंक में जमा कराई गई राशि के प्राप्ति चालानों की प्राप्तियों सहित प्रपत्र 6 में अंशदान विवरणी भी भिजवानी होती है।

A return of contributions is to be submitted in Form-6 alongwith receipted copies of challans for the amount deposited in the Bank to the Branch Office of the Corporation at the expiry of each contribution period as specified under Regulation 26 of the Employees' State Insurance (General) Regulations 1950.

2. खेद की बात है कि आपने इस कार्यालय के पत्र संख्या ----- दिनांक ----- द्वारा सूचित निम्नलिखित अवधियों की अंशदान राशियों का कानूनी प्रावधानों के अनुसार अब तक भुगतान नहीं किया है तथा अंशदान विवरणी भी प्रस्तुत नहीं की है।

It is regretted that you have so far not paid the Contribution as per provisions of Law for the period (s) given below as pointed out by this office letter of even number dated\_\_\_\_\_and have also not submitted the return of Contribution :

(i) -----से-----तक-----रु0  
From\_\_\_\_\_to\_\_\_\_\_Rs.\_\_\_\_\_

(ii) -----से-----तक-----रु0  
From\_\_\_\_\_to\_\_\_\_\_Rs.\_\_\_\_\_

(iii) -----से-----तक-----रु0  
From\_\_\_\_\_to\_\_\_\_\_Rs.\_\_\_\_\_

(iv) -----से-----तक-----रु0  
From\_\_\_\_\_to\_\_\_\_\_Rs.\_\_\_\_\_

2- कृपया नोट करें कि अधिनियम के अंतर्गत कोई भी देय अंशदान क.रा.बी अधिनियम की धारा 45ग से 45झ के तहत वसूल किया जाएगा।  
Please note that any contribution payable under the Act may be recovered under Section 45 C to 45 I of the Act.

4. कृपया यह भी नोट करें कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 31 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार अंशदान अदा करने में विफलता की स्थिति में अधिनियम की धारा 39(5) के अंतर्गत देरी/चूक के हरेक दिन के लिए बकाया अंशदान पर 12% वार्षिक दर से ब्याज देय हो जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 39(5) के अंतर्गत किसी भी देय ब्याज की कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 45ग से 45झ के अंतर्गत वसूली की जाएगी।

It may also please be noted that in case of failure to pay contributions in accordance with Regulation 29, read with Regulations 31 of the ESI (General) Regulations 1950, interest @ 12% per annum becomes payable under Section 39(5) of the Act on arrears of contributions for each day of default or delay in payment of contributions. Any interest payable under Section 39 (5) of the act may be recovered under Section 45 C to 45 I of the Act.

2. कृपया ध्यान रहे कि यदि अद्यतन बकाया अंशदान का भुगतान इस सूचना के 15 दिन के अंदर न किया गया तो यह कार्यालय क.रा.बी. अधिनियम की धारा 45ग से 45झ के अंतर्गत देय राशि को ब्याज सहित वसूल करने हेतु बाध्य होगा।

Please take notice that unless contributions outstanding upto date are paid immediately and in any case within 15 days thereof under intimation to this office, this office will be constrained to cause the same to be recovered under Section 45 C to 45 I of the Act.

भवदीय/Yours faithfully,

सहायक/उप निदेशक/ASSTT./DY.DIRECTOR

टिप्पणी : यदि आपने इस राशि का भुगतान पहले ही कर दिया है तो कृपया बैंक का नाम, चालान संख्या व भुगतान की तारीख सूचित करें। यदि आप प्रधान नियोजक नहीं हैं अथवा प्रधान नियोजक नहीं रहे तो ऐसी स्थिति में आपसे निवेदन है कि जिस तिथि से आप प्रधान नियोजक नहीं रहे, सूचित करें।

NOTE: In case you have already paid the amount please intimate the Challan number date of payment and the name of the bank. In case you are not the Principal Employer or have ceased to be the Principal Employer, you are requested to please intimate the date from which you ceased to be the Principal Employer.

चेतावनी: कृपया नोट करें कि समय पर अंशदान का भुगतान करने में विफलता अधिनियम की धारा 85क और 85ख की व्यवस्थाओं को आकर्षित करती है और आपको बकाया राशि के बराबर हर्जाने और अभियोजन का भागी बनाती है।

**WARNING:** Please note that failure to pay contributions in time attracts provisions of Sec.85 A and 85 B of the Act, rendering you liable for prosecution and payment of damages which may be equal to the amount of arrears.



क्षेत्रीय कार्यालय  
REGIONAL OFFICE  
कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

संख्या/No. \_\_\_\_\_

दिनांक/Dated \_\_\_\_\_

सेवा में/To

मैसर्स/M/s \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

विषय : क.रा.बी. अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अधीन अनुपालन-विलंब से की गई अदायगी पर ब्याज।  
Subject: Compliance under the provisions of ESI Act, 1948- interest on delayed payments.

महोदय/Dear Sirs,

आपको सूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 31क के साथ पठित क.रा.बी. अधिनियम की धारा 39(5) के अधीन निगम को अंशदान की विलंब से अदायगी किए जाने पर ब्याज की वसूली करने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं।

I have to inform you that U/S 39(5) of the ESI Act, read with Regulation 31 A of ESI (General) Regulation, 1950 the Corporation has been empowered to charge the interest on the delayed payment of contributions.

कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 31 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार अंशदान की अदायगी करने में विफल रहने पर अंशदानों की अदायगी करने में चूक या विलंब के प्रत्येक दिन के लिए अंशदान के बकायों पर प्रधान नियोजक द्वारा क.रा.बी. (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 31क के अंतर्गत 19.10.1989 तक 6% प्रतिवर्ष की दर से, 20.10.1989 से 31.08.1994 तक 12% प्रतिवर्ष की दर से और 01.09.1994 से 30.09.05 तक 15% तथा 1.10.05 से आगे 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय है। क.रा.बी. अधिनियम या उसके अधीन बनाये गए विनियमों के अधीन देय किसी भी ब्याज की वसूली क.रा.बी. अधिनियम की धारा 45ग से 45झ के अधीन भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी।

In case of failure to pay contributions in accordance with Regulation 29 read with Regulation 31 of ESI (General) Regulations, 1950; interest @ 6% per annum up to 19.10.1989 @ 12% w.e.f. 20.10.89 to 31.8.94 @ 15% from 1.9.94 to 30.9.05 and 12% from 1.10.05 onwards under Regulation 31 A of the ESI (General) Regulations, 1950 is also liable to be paid by the principal employer on the arrears of contributions for each day of default or delay in payment of contributions. Any interest payable under the ESI Act or the Regulations framed thereunder may be recovered as arrears of land revenue under section 45 C to 45 I of the ESI Act.

जबकि आप निर्धारित अवधि के अंदर अंशदान की अदायगी करने में विफल रहे हैं, आपके द्वारा नीचे दिए गए ब्योरों के अनुसार \_\_\_\_\_ रु. ब्याज की अदायगी अपेक्षित है:-

Since you have failed to pay the contributions within the stipulated period, you are required to pay interest Rupees \_\_\_\_\_ as per details given below:-

क्र.सं. Sl.No.	मजदूरी अवधि Wage Period	देय अंशदान Contribution Payable	विलंब की अवधि Period of Delay	ब्याज की राशि Amount of Interest

आपका ध्यान उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक \_\_\_\_\_ की ओर दिलाया जाता है और सूचित किया जाता है कि आपने अभी तक ब्याज के रूप में \_\_\_\_\_ रु. की राशि जमा नहीं की है।

I have also to invite your attention to this office letter of even No. dated \_\_\_\_\_ on the above subject and to inform you that you have not deposited the amount of Rs. \_\_\_\_\_ towards the interest so far.

अतः आपसे निवेदन है कि उपर्युक्त परिकलित ब्याज \_\_\_\_\_ रु. तथा \_\_\_\_\_ रु. का बकाया भी चालान पर आवश्यक अभ्युक्ति देते हुए भारतीय स्टेट बैंक में शीघ्र जमा करा दें।

You are, therefore, requested to please deposit the interest of Rs. \_\_\_\_\_ calculated as above and also arrears of Rs. \_\_\_\_\_ in the State Bank of India, giving necessary remarks on the Challan form immediately.

कृपया ध्यान रखें कि उपरिलिखित ब्याज की राशि का शीघ्र अथवा किसी भी स्थिति में इसके 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करते हुए भुगतान न किए जाने पर यह कार्यालय यथा संशोधित क.रा.बी. अधिनियम, 1948 की धारा 45ग से 45झ के अधीन या भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूलने के लिए बाध्य होगा।

Please take notice that unless interest amounts as mentioned above are paid immediately or in any case within 15 days hereof under intimation to this office, this office will be constrained to cause the same to be recovered as an arrears of land revenue or under Section 45 C to 45 I of the ESI Act, 1948, as amended.

भवदीय/Yours faithfully,

सहायक/उपनिदेशक  
ASSTT./DY.DIRECTOR

टिप्पणी : यदि आपने राशि अदा कर दी है तो कृपया चालान संख्या, भुगतान की तारीख तथा बैंक का नाम सूचित करें।  
NOTE : In case you have already paid the amount please intimate the Challan number date of payment and the name of the bank.

यदि आप प्रधान नियोजक न हों अथवा इस बीच प्रधान नियोजक न रहे हों तो कृपया अपने प्रधान नियोजक न रहने की तारीख सूचित करें।

In case you are not the Principal Employer or have ceased to be the Principal Employer, you are requested to please intimate the date from which you ceased to be the Principal Employer.



क्षेत्रीय कार्यालय  
REGIONAL OFFICE  
कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

संख्या/No. \_\_\_\_\_

दिनांक/Dated \_\_\_\_\_

सेवा में/To

वसूली अधिकारी,  
The Recovery Officer,  
कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
ESI Corporation  
\_\_\_\_\_

विषय: -----से ----- तक की अवधि के अंशदानों का भुगतान विलंब से करने पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (यथा संशोधित) की धारा 45ग से 45झ के अंतर्गत मैसर्स \_\_\_\_\_ से ब्याज की वसूली।

Subject: Recovery of interest on delayed payment of contribution for the period from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_ u/s 45 C to 45 I of the ESI Act, 1948 (as amended) for Rs \_\_\_\_\_ against M/s \_\_\_\_\_.

महोदय/Sir,

मैसर्स \_\_\_\_\_ और प्रधान नियोजक श्री \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_ क.रा.बी. (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 31 के साथ पठित क.रा.बी. अधिनियम की धारा 39(5) के अंतर्गत \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ तक की अवधि हेतु देय ब्याज का भुगतान करने में असफल रहे हैं।

M/s \_\_\_\_\_ and the Principal Employer named Shri \_\_\_\_\_ resident of \_\_\_\_\_ have failed to pay the interest payable under Section 39 (5) of the ESI Act read with Regulation 31 of the ESI (General) Regulations, 1950 for the period from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_.

उक्त अधिनियम की धारा 39(5) के अनुसार आपसे निवेदन है कि कारखाना/स्थापना/प्रधान नियोजक \_\_\_\_\_ #-(केवल \_\_\_\_\_ रुपये) की राशि की वसूली करें और इसे भारतीय स्टेट बैंक में क.रा.बी. निगम निधि के खाता संख्या 1 में जमा करें और इसकी सूचना निम्न हस्ताक्षरकर्ता को भी दें। कृपया इसे नियोजक की कूट संख्या tks \_\_\_\_\_ है, का उल्लेख करते हुए चालान द्वारा जमा करें।

In accordance with Section 39(5) of the said Act, you are requested to recover an amount of Rs. \_\_\_\_\_ (Rupees \_\_\_\_\_ Only) from the factory/establishment/principal employer and deposit the same in State Bank of India for credit to ESI Fund Account NO.1, under intimation to the undersigned. This may please be done by challan quoting code no. of the employer which is \_\_\_\_\_.

भवदीय/Yours faithfully,

सहायक/उपनिदेशक  
ASST./DY.DIRECTOR

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:-

Copy forwarded to:



क्षेत्रीय कार्यालय  
REGIONAL OFFICE  
कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
**EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION**

संख्या /No: \_\_\_\_\_

दिनांक /Date \_\_\_\_\_

प्रे ाक /From:-

प्राधिकृत अधिकारी/The Authorised Officer,  
क.रा.बी. निगम, /ESI Corporation,

\_\_\_\_\_

सेवा में /To,

वसूली अधिकारी /Recovery Officer  
क.रा.बी. निगम/ESI Corporation,

\_\_\_\_\_

विषय:-कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (यथा संशोधित) की धारा 45ग से 45झ के अधीन अंशदानों की वसूली के लिए आवेदन।

मैसर्स ----- के प्रधान नियोजक के विरुद्ध कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा ----  
-----रूप तथा-----से 12% वार्षिक की दर से ब्याज का दावा।

**Sub: Application for the recovery of contribution under Section 45 C to 45 I of the ESI Act, 1948 (As Amended) \_\_\_\_\_.**

Claim of Rs. \_\_\_\_\_ plus interest @ 12% per annum from \_\_\_\_\_ by the Employees' State Insurance Corporation against Shri \_\_\_\_\_ Principal employer of the factory/estt. \_\_\_\_\_ situated at \_\_\_\_\_.

महोदय,/Sir,

मैसर्स-----नामक कारखाना/स्थापना कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा गया है) के उपबंधों के अधीन व्याप्त है।

The Factory/establishment M/s \_\_\_\_\_ is covered under the provisions of ESI Act (hereinafter referred to as the Act.)

3- अधिनियम के अध्याय 4, अध्याय 5 तथा 6 के उपबंध -----की सीमाओं के अंदर आने वाले क्षेत्रों में लागू किए गए हैं और इन क्षेत्रों में स्थित अधिनियम के अंतर्गत व्याप्त कारखानों/स्थापनाओं के लिए, अपने प्रधान नियोजक के माध्यम से अधिनियम की धारा 40 के अधीन, कर्मचारियों के संबंध में, कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य ) नियम, 1950 (यथा-संशोधित) के नियम 51 में विनिर्दिष्ट दरों पर देय अंशदान का भुगतान, जिस कैलेण्डर माह में यह देय हो उसके अंतिम दिन से 21 दिन के अंदर जमा करना अपेक्षित है, जैसा कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 31 में अधिकथित है।

The provisions of Chapter IV, Chapter V and VI of the Act are enforced in the areas falling within the limits of \_\_\_\_\_ and the factories/establishments covered under the Act and situated within the areas mentioned above are required to pay the contribution under Section 40 through their principal employer and at the rates specified in Rule 51 of the ESI (General) Rules, 1950 as amended in respect of the employees within 21 days from the last day of calendar month in which the contributions fall due, as laid down in Regulation 31 of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950.

3. उपर्युक्त कारखाना/स्थापना तथा इसके प्रधान नियोजक को ----- से -----तक की अवधि के लिए अपने कर्मचारियों के संबंध में अंशदान के रूप में -----रूप की राशि तथा इस आवेदन की तारीख तक विलंब/चूक के प्रत्येक दिन के लिए 12% की दर से ब्याज के रूप में -----रूप की राशि कर्मचारी राज्य बीमा निगम को अदा करनी अपेक्षित थी/है। इस प्रकार कुल राशि -----रूप बनती है।

The above named factory/establishment and its principal employer were and are required to pay a sum of Rs. \_\_\_\_\_ as contributions in respect of employees for the period from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_ plus Rs. \_\_\_\_\_ as interest at the rate of 12% per annum for each day of delay/default upto the date of this application to the Employees' State Insurance Corporation. The total amount thus works out to Rs. \_\_\_\_\_.



4. अंशदान की उपर्युक्त देय राशि नोटिस के बाद तथा उचित जाँच पड़ताल और निगम के पास उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर नियत की गई है।

The amount of contribution payable as aforesaid has been determined after notice and reasonable enquiry and on the basis of records available with the Corporation.

5. उपर्युक्त कारखाना/स्थापना तथा प्रधान नियोजक अनुस्मारक देने के बाद भी उपर्युक्त अवधि के लिए अंशदान अदा करने में विफल रहे हैं। आवेदक निवेदन करता है कि कुल -----रु० (केवल -----रुपए) की राशि तथा इस राशि पर दिनांक-----से वसूली की तारीख तक 12% वार्षिक की दर से -----रु. (केवल -----रुपए) प्रतिदिन के हिसाब से ब्याज (बैंक वसूली प्रभार सहित, यदि अदायगी बैंक द्वारा की गई है) की अधिनियम की धारा 45ग से 45झ के अधीन वसूली की जाए तथा इसे आवेदक को सूचित करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम निधि लेखा संख्या 1 में क्रेडिट करने के लिए जमा किया जाए। इस राशि को चालान द्वारा जमा किया जाए जिस पर नियोजक की कूट संख्या-----लिखी जाए। इसे भारतीय स्टेट बैंक में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के खाता संख्या-1 में जमा किया जाए और कोई बैंक व्यवस्था मौजूद न होने पर इसे क्षेत्रीय निदेशक के पास जमा कराएँ।

The above named factory/establishment and the principal employer failed to pay the contributions for the above period inspite of reminders. The applicant prays that the total amount of Rs. \_\_\_\_\_ ( Rupees \_\_\_\_\_ only) plus further amount of interest @ 12% per annum calculated on the amount, @ Rs. \_\_\_\_\_ per day from \_\_\_\_\_ to the date of recovery (plus collection charges of the bank, if the payment is made by cheque) as being due to Employees' State Insurance Corporation from the said principal employer, may be recovered under Section 45 C to 45 I of the Act and remitted to the credit of the Employees' State Insurance Fund Account No.1 under advice to the applicant. This may please be done by challan quoting Code No. of the employer which is \_\_\_\_\_. The amount/cheque may be deposited in SBI A/C No. 1, where the Employees' State Insurance Fund Account is operated or may be deposited with the Regional Director concerned where no banking arrangement is in existence.

6. कारखाना/स्थापना दिनांक -----से अनंतिम रूप से व्याप्त किया गया है और यदि इसके बाद इसे किसी पूर्व तारीख से व्याप्ति योग्य पाया गया तो व्याप्ति की अनंतिम तारीख, जिसके लिए राशि का दावा प्रमाण-पत्र कार्यवाहियों में किया गया है, से पहले की देय राशि की पार्टी से वसूली का दावा करने का निगम का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

The factory/establishment has been provisionally covered with effect from \_\_\_\_\_ and if it is found to be covered subsequently from any prior date, the Corporation reserves the right to demand recovery of any amount that may be due from the party prior to the provisional date of coverage for which amount has been claimed in this certificate proceedings.

7. इस राशि का दावा इस कार्यालय के समसंख्यक आवेदन दिनांक -----द्वारा पहले किए गए -----रुपए की राशि के दावे के अतिरिक्त है।

This demand is in addition to the previous demand for Rs. \_\_\_\_\_ (Rs. \_\_\_\_\_) claimed vide this office application of even number dated \_\_\_\_\_.

भवदीय/Yours faithfully,

सहायक/उप निदेशक  
ASSTT./DY.DIRECTOR

प्रतिलिपि /Copy to:

श्री/श्रीमती/Shri/Smt. \_\_\_\_\_

मैसर्स/M/s \_\_\_\_\_

बीमा निरीक्षक, डिवीजन संख्या /I.I.Div.No. \_\_\_\_\_



क्षेत्रीय कार्यालय  
REGIONAL OFFICE  
कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

संख्या/No. \_\_\_\_\_

दिनांक/Dated \_\_\_\_\_

नोटिस  
NOTICE

1. मैसर्स----- कारखाना/स्थापना जिस पर क.रा.बी. अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं तथा जिनके लिए क.रा.बी. अधिनियम की धारा 40 के अनुसार अंशदान (नियोजक शेयर तथा कर्मचारी शेयर) अदा करना अपेक्षित है और जिन्होंने संलग्न विवरण में दिए गए ब्योरे के अनुसार क.रा.बी. अधिनियम के अधीन बनाए गए क.रा.बी.(साधारण) विनियम, 1950 में यथा निर्धारित रीति और तय समय के भीतर अंशदान का भुगतान करने में चूक की है/अंशदान का भुगतान करने में विफल रहे हैं।  
Whereas M/s \_\_\_\_\_ a factory/establishment to whom the provisions of the ESI Act are applicable and who are required to pay the contributions (Employer's share and Employees' share) in accordance with Section 40 of the ESI Act and have failed to pay the contributions/made a default in making the payment of the contributions within the stipulated time and manner prescribed in the ESI (General) Regulations, 1950 framed under the Act, as per the details furnished in the enclosed statement.
2. क.रा.बी. अधिनियम की धारा 85(ख)(क) के साथ पठित क.रा.बी.(साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 31ग के उपबंधों के अनुसार व इनके अंतर्गत मैसर्स-----से हर्जाना निर्धारित किए जाने और वसूले जाने का प्रस्ताव है।  
And where it is proposed to determine and recover from M/s \_\_\_\_\_ damages as per and under the provisions of the Regulation 31 C of ESI (General) Regulation, 1950 read with Section 85(B) (I) of the ESI Act.
3. मैसर्स-----को निर्धारण तथा वसूली के विरुद्ध कारण बताने का एक अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव है।  
And whereas it is proposed to afford M/s \_\_\_\_\_ an opportunity to show cause against the determination and recovery.
4. अब उक्त कारखाना/स्थापना के नियोजक के रूप में----- निवासी श्री ----- कृपया 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उन पर पीछे/संलग्न विवरण के कॉलम संख्या 7 में यथा उल्लिखित प्रतिशतता तथा अधिकतम, उक्त विवरण के कॉलम संख्या 3 में उल्लिखित राशि तक हर्जाना क्यों न लगाया जाए और वसूला जाए।  
Now Shri \_\_\_\_\_ R/O \_\_\_\_\_ as the employer of the above factory/establishment may please show cause within 15 days why damages to the extent of percentage as indicated in Col. No.7 of the statement on the reverse/enclosed, subject to the maximum of the amount indicated in col. No.3 of the said statement may not be imposed and recovered.
5. यदि ऊपर संदर्भित अवधि के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होगा तो यह माना जाएगा कि कोई उत्तर नहीं देना है और हर्जाना वसूलने की कार्रवाई गुण-दोष के आधार पर की जाएगी।  
If no reply is received within the period as referred to above, it will be presumed that no reply is intended and the action to recover the damages will be taken on merits.
6. यदि श्री----- अपना मामला व्यक्तिगत रूप में प्रस्तुत करने के इच्छुक हैं तो वह दिनांक-----को ----- पूर्वाह्न/अपराह्न में आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष रखने के लिए निम्नहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित हों। उनके उक्त तारीख तथा समय पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित होने में असमर्थ रहने की स्थिति में यह माना जाएगा कि वे व्यक्तिगत सुनवाई नहीं चाहते हैं और उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिवेदन पर विचार करने के बाद, मामले में गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।  
In case Shri \_\_\_\_\_ desires to represent his case in person he may appear before the undersigned on \_\_\_\_\_ at \_\_\_\_\_ A.M./P.M. with necessary documents to explain his case. If he fails to attend the personal hearing on the above date and time it will be presumed that he does not want a personal hearing and the case will be decided on merits after taking into consideration the written representation submitted by him, if any.

सहायक/उप/संयुक्त/क्षेत्रीय निदेशक  
ASSTT./DY./JT./ REGIONAL DIRECTOR

सेवा में/TO

1. मैसर्स/M/s \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. प्रधान नियोजक(नाम से)Principal Employer (by name)  
\_\_\_\_\_

विवरण  
STATEMENT

क्रम संख्या Sl. No.	मजदूरी अवधि Wage period	अंशदान की राशि Amount of contribution	भुगतान हेतु नियत तारीख Due date for payment	भुगतान की वास्तविक तारीख Actual Date of payment	भुगतान में विलंब की अवधि वर्ष/माह/दिन Period of Delay in Pmt. Y./M./D.	देय राशि पर लगाए जाने वाले हर्जाने की प्रतिवर्ष प्रतिशत दर Rate of damages Leviabie in % per annum of the amount due
1	2	3	4	5	6	7

"निगम हिंदी पत्राचार का स्वागत करता है"

पंजीकृत पावती देय

डी/D-19



क्षेत्रीय कार्यालय  
REGIONAL OFFICE  
कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

संख्या/No. \_\_\_\_\_

दिनांक/Dated \_\_\_\_\_

सेवा में/To

वसूली अधिकारी,  
कर्मचारी राज्य बीमा निगम,  
The Recovery Officer,  
ESI Corporation  
\_\_\_\_\_

विषय: कर्मचारी राज्य बीमा निगम को विलंबित अदायगी करने पर क.रा.बी. अधिनियम की धारा 85ख के अधीन हर्जानों की वसूली।

Subject: Recovery of damages under Section 85 B of the ESI Act for delayed payment of the ESI Corporation.

महोदय/Sir,

मैसर्स \_\_\_\_\_

और प्रधान नियोजक श्री \_\_\_\_\_ ने \_\_\_\_\_ को समाप्त अवधि का देय अंशदान का विलंब से भुगतान करने के लिए क.रा.बी. अधिनियम, 1948 यथा-संशोधित की धारा 85ख के साथ पठित विनियम 31ग के अंतर्गत लगाए गए हर्जाने की राशि \_\_\_\_\_ रुपये (केवल \_\_\_\_\_ रूपर) का भुगतान नहीं किया है।

M/s \_\_\_\_\_ and the Principal Employer named \_\_\_\_\_ have not paid the damages amounting to Rs. \_\_\_\_\_ (Rs. \_\_\_\_\_) levied under Regulation 31 C read with Section 85 B of the Employees' State Insurance Act, 1948 as amended, for delayed payment of contributions due/paid for the contribution period ending on \_\_\_\_\_.

उक्त अधिनियम की धारा 85ख (2) के अनुसार आपसे निवेदन है कि कारखाना/स्थापना/प्रधान नियोजक से \_\_\_\_\_ रुपये (केवल \_\_\_\_\_ रूपर) की राशि की वसूली करें और उसे भारतीय स्टेट बैंक की अनुमोदित शाखा में क.रा.बी. निगम के खाता संख्या 1 में जमा करें और इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को भी दें। ऐसा कृपया चालान में नियोजक की कूट संख्या जो \_\_\_\_\_ है, का उल्लेख करते हुए किया जाए।

In accordance with Section 85 B(2) of the said Act you are requested to recover an amount of Rs. \_\_\_\_\_ (Rs. \_\_\_\_\_) from the Factory/ establishment/the Principal Employer and deposit the same in approved Branch of State Bank of India for credit to the Employees' State Insurance Fund Account No. 1 under intimation to the undersigned. This may please be done by Challan quoting Code No. of the employer which is \_\_\_\_\_.

यह धनराशि किसी भी सरकारी खजाने में जमा न की जाए।

The amount should not be deposited in any Govt. Treasury.

यह मांग इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक \_\_\_\_\_ द्वारा दावा की गई \_\_\_\_\_ रुपये (केवल \_\_\_\_\_ रूपर) की पिछली मांग के अतिरिक्त है।

This demand is in addition to the previous demand of Rs. \_\_\_\_\_ (Rs. \_\_\_\_\_) claimed vide this office application of even no. dated \_\_\_\_\_.

भवदीय/Yours faithfully,

सहा./उप/संयुक्त निदेशक  
ASST./DY./JT. DIRECTOR

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:

Copy forwarded for information to:

बीमा निरीक्षक \_\_\_\_\_ बीमा प्रभाग, क.रा.बी. निगम।

Insurance Inspector. \_\_\_\_\_ Inspection Division, ESI Corporation.



कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

संख्या/No. \_\_\_\_\_

निरीक्षण कार्यालय/Inspection Office

मैसर्स/M/s \_\_\_\_\_

स्टेशन/Station \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

दिनांक/Date \_\_\_\_\_

विषय: कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत कारखाने का निरीक्षण।

Subject: Inspection of Factory under Employees' State Insurance Act.

महोदय/Sir,

मैं दिनांक -----को क.रा.बी. अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत आपके कारखाने का निरीक्षण करने के लिए आऊंगा। कृपया दिनांक -----से -----तक की अवधि के निम्नलिखित अभिलेख (रिकार्ड) निरीक्षण के लिए तैयार रखे जाएं:-

I shall be visiting your factory for inspection under section 45 of the E.S.I. Act on \_\_\_\_\_. The following records for the period from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_ may be kept readily available for my examination :-

- क) हाजिरी पंजिका, मजदूरी रजिस्टर, रोकड़ बहियां, ठेके के कर्मचारियों का रिकार्ड, लैजर एवं वाउचर।
  - a) Muster Roll, Wages Register, Cash Books, Contractor's Employees' Records, Ledger & Vouchers.
- ख) भुगतान किए गए अंशदान के चालान की प्रतियां।
  - b) Copies of Challans for contribution paid.
- ग) विनियम 102-क. के अंतर्गत निरीक्षण पुस्तिका।
  - c) Inspection Book under Regulation 102-A.
- घ) विनियम 32 के अंतर्गत कर्मचारियों का रजिस्टर।
  - d) Employees' Register under Regulation 32.
- ङ) विनियम 66 के अंतर्गत दुर्घटना पुस्तिका।
  - e) Accident Book under Regulation 66.
- च) अंशदान अवधि ----- की अंशदान विवरणियां एवं घोषणा प्रपत्र विवरणी।
  - f) Returns of Contribution for Contribution periods \_\_\_\_\_ Return of Declaration Forms.
- छ) कारखाना/स्थापना के गठन के बारे में संबंधित दस्तावेज।
  - g) Relevant documents regarding constitution of the Factory/establishment.
- ज) क.रा.बी. अधिनियम, 1948 के अंतर्गत रोजगार, मजदूरी का भुगतान एवं अंशदानों के भुगतान से संबंधित अन्य सभी दस्तावेज।
  - h) All other documents pertaining to employment, payment of wages and payment of contribution under the E.S.I. Act, 1948.

भवदीय/Yours faithfully,

बीमा निरीक्षक/Insurance Inspector



कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION  
बीमा निरीक्षक के अलावा किसी अन्य अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट  
INSPECTION REPORT BY AN OFFICER OTHER THAN I.I.

भाग-क  
PART-A

1.	क्षेत्र Region	
2.	(क) (a) कारखाने का नाम व पता Name & Address of the Factory	
	(ख) (b) कूट संख्या Code No.	
	(ग) (c) की जा रही विनिर्माण प्रक्रिया/कारोबार की प्रकृति Nature of Manufacturing process/Business carried on	
3.	(क) (a) बीमा निरीक्षक का नाम जिन्होंने निरीक्षण किया था Name of the I.I. who had conducted the Inspection	
	(ख) (b) बीमा निरीक्षक द्वारा किए गए निरीक्षण की तारीख व अवधि Date & period of inspection conducted by I.I.	
	(ग) (c) बीमा निरीक्षक द्वारा जाँचे गए सामान्य लैज़र की अवधि Period of General Ledger checked by I.I.	
4.	(क) (a) निरीक्षण करने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम Name & Designation of the Officer conducting Inspection.	
	(ख) (b) ऐसे निरीक्षणों की तारीखें Date (s) of such inspection	
	(ग) (c) निरीक्षण के लिए चुनी गई अवधि Period chosen for inspection	
	(घ) (d) विस्तृत निरीक्षण के लिए चुनी गई अवधि Period chosen for detailed inspection	
	(इ) (e) लैज़र सत्यापन के लिए चुनी गई अवधि Period chosen for ledger verification.	
5.	निरीक्षण के लिए संपर्क किए गए कारखाने के कार्मिक का नाम व पदनाम Name & designation of official of the factory contacted for inspection	

भाग-ख  
PART-B

1.		कारखाने के स्वामित्व की प्रकृति Nature of ownership of the Factory	
2.	(क) (a)	प्रधान नियोजक का नाम/पदनाम/पता Name of Principal Employer/Designation/Address	
	(ख) (b)	प्रबंधक/अधिष्ठाता का नाम व पता (कारखाना निरीक्षक द्वारा दी गई घोषणा के अनुसार) Name & Address of the Manager/Occupier (as per declaration of Inspector of Factories)	
3.		रिकार्ड पर उपलब्ध पिछली सूचना से कारखाने के स्वामित्व में कोई परिवर्तन हुआ है, यदि हाँ, तो परिवर्तन की प्रकृति तथा तारीख Whether there has been any change in the ownership of the Factory since the last information available on the record, if so, date and nature of the change.	
4.		क्या क.रा.बी. अधिनियम के अधीन कारखाने की व्याप्ति के संबंध में कोई परिवर्तन हुआ है। Whether there has been any change in regard to the coverage of the factory under the ESI Act.	
5.	(क) (a)	कारखाना परिसर से बाहर स्थित कोई कार्यालय या विभाग Offices or departments, if any situated outside the factory premises.	
	(ख) (b)	क्या इन विभागों तथा कार्यालयों में काम करने वाले व्यक्ति व्याप्त हैं। Whether the persons working in these departments and offices are covered.	
	(ग) (c)	इन कार्यालयों या विभागों में किए जा रहे कार्य की प्रकृति Nature of work done in these offices or departments.	
6.		आसन्न नियोजकों को सौंपे गए कार्य की प्रकृति Nature of work entrusted to immediate employers.	
	(क) (a)	कारखाना परिसर में At Factory Premises	
	(ख) (b)	कारखाना परिसर के बाहर Outside the Factory premises	
7.		क्या आसन्न नियोजकों के अधीन काम करने वाले व्यक्ति व्याप्त हैं। Whether the persons working under immediate employers are Covered	
	(क) (a)	कारखाना परिसर में At Factory Premises	
	(ख)(b)	कारखाना परिसर के बाहर Outside the Factory premises	

8. निरीक्षण की तारीख को प्रधान नियोजक द्वारा सीधे नियोजित कर्मचारियों की संख्या  
No. of employees employed directly by the Principal Employer on the date of inspection.

		व्याप्त Covered	अव्याप्त Uncovered	अव्याप्त होने के संक्षिप्त कारण Brief reasons for not covered
(क) (a)	कारखाना परिसर में At factory premises: (1) प्रशासनिक कार्यालयों में (i) Administrative Offices (2) कारखाने में (ii) Factory side (3) अन्य में संक्षिप्त विवरण सहित (iii) Others, with brief description thereof			
(ख) (b)	कारखाना परिसर से बाहर Outside the factory premises (1) प्रशासनिक कार्यालयों में (i) Administrative Offices (2) कारखाने में (ii) Factory side (3) अन्य में संक्षिप्त विवरण सहित (iii) Others, with brief description thereof			
(ग) (c)	आसन्न नियोजकों द्वारा नियोजित कर्मचारियों की संख्या No. of employees employed through immediate employer			
		व्याप्त Covered	अव्याप्त Uncovered	अव्याप्त होने के संक्षिप्त कारण Brief reasons for not covered
	(1) कारखाना परिसर में (i) At factory premises: (2) कारखाना परिसर से बाहर (ii) Outside the factory premises			
(घ) (d)	क्या उपर्युक्त (1) तथा (2) पर उल्लिखित कर्मचारियों के बारे में अनुपालन प्रधान नियोजक द्वारा किया जाता है या आसन्न नियोजक द्वारा पृथक कूट संख्या के अंतर्गत, यदि उसे आबंटित किया गया है तो Whether compliance in respect of employees as at (i) & (ii) above are made through principal employer or under the separate code no. of the immediate employer allotted, if any.			
9.	क्या नियुक्ति के तत्काल बाद अस्थाई, एवजी तथा अनियत सभी कर्मचारियों के नाम उपस्थिति रजिस्टर में लिखे जाते हैं। Whether names of all employees including temporary, substitute and casual are brought to attendance register immediately after appointment.			



10	<p>कर्मचारियों की प्रकृति और संख्या जिनके नाम मजदूरी रजिस्ट्रों में नहीं लिखे जाते और जिन्हें वाउचरों के माध्यम से भुगतान किया जाता है।</p> <p>Type &amp; No. of employees whose names are not brought on wages registers and to whom payment is made through vouchers</p>	
11.	<p>क्या मजदूरी की निम्नलिखित मदों का भुगतान किया गया है और इन्हें शामिल किया है यानि उन्हें मजदूरी पंजिका में दर्शाया गया है।</p> <p>Whether the following Items of wages paid and accounted for i.e. whether they are shown in the wage roll.</p>	
	<p>(क) (a)</p> <p>समयोपरि मजदूरी Overtime wages</p>	
	<p>(ख) (b)</p> <p>मकान किराया भत्ता House Rent Allowance</p>	
	<p>(ग) (c)</p> <p>छुट्टी की मजदूरी Leave wages</p>	
	<p>(घ) (d)</p> <p>बोनस, बोनस के प्रकार का संक्षिप्त विवरण Bonus, Brief description of the type of bonus.</p>	
	<p>(ड.) (e)</p> <p>मानदेय, अनुग्रह तथा अन्य भुगतान जो नियमित मजदूरी के भाग के रूप में नहीं हैं। Honorarium, exgratia and other payments not forming part of regular wages.</p>	
12.	<p>क्या मद संख्या 11 के अंतर्गत उल्लिखित भुगतान की मदों में से कोई मद 'मजदूरी' की परिभाषा के अंदर नहीं आती, यदि हाँ तो संक्षिप्त कारण बताएं।</p> <p>Whether any of the items of payment referred to under item No. 11 does not fall within the definition of the term "wages", if so, brief reasons thereof.</p>	

भाग-ग  
PART-C

1. अंशदान (नियोजक तथा कर्मचारी का)  
Contribution (Employer's and Employees's)

अंशदान अवधि/माह Contribution period/ month	देय अंशदान की राशि Amount of contribution payable		
	बीमा निरीक्षक की गणना के अनुसार As per calculations of Insurance Inspector	निरीक्षण करने वाले अधिकारी की गणना के अनुसार As per calculations of the officer conducting inspection	विसंगतियों के कारण, यदि कोई हो Reason for discrepancies, if any

2. नियोजक द्वारा अंशदान की अदायगी में चूक  
Defaults in payment of contribution by the employer.

क्र.सं. Sl.No.	माह Month	मजदूरी Wages	कर्मचारी का अंशदान Employees' contribution	नियोजक का अंशदान Employer's contribution	कुल Total

3.	नियोजक द्वारा चूक के लिए सूचित किए गए कारण Reasons advanced by the employer for default	
4.	नियोजक द्वारा अनुपालन की संभावना Prospects of compliance by the employer	
5.	नियोजक द्वारा दूसरे पहलुओं में अनुपालन संबंधी स्थिति Position regarding compliance by the employer in other respects.	
(क) (a)	घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत करना Submission of Declaration Form	
(ख) (b)	अस्थाई पहचान कार्ड जारी करना Issue of T.I.C.	
(ग) (c)	पहचान पत्र का वितरण Distribution of Identity Card	
(घ) (d)	वितरण के लिए लंबित पहचान पत्रों की अनुमानित संख्या Rough idea of the No. of Identity Cards pending for distribution.	
(ङ.) (e)	अंशदान विवरणियां प्रस्तुत करना Submission of RCs	
(च) (f)	दुर्घटना रिपोर्ट तथा एसिक-32 रिकॉर्ड प्रस्तुत करना Submission of Accident Reports & ESIC-32 record	
(छ) (g)	निम्नलिखित रिकॉर्ड का अनुरक्षण। Maintenance of the following records. (1) विनियम 32 के अंतर्गत रजिस्टर क्या इसे मजदूरी रोल में जोड़ा गया है (i) Register under Regulation 32 whether it is incorporated in the wage roll itself. (2) दुर्घटना पुस्तक (ii) Accident Book	

(ज) (h)	नियोजक द्वारा उठाया गया कोई अन्य बिंदु और मौके पर दिया गया स्पष्टीकरण Points if any, raised by the employer and clarified on the spot.	
(झ) (i)	रिकॉर्ड प्रस्तुतीकरण में अनुभव की गई कोई कठिनाई Difficulties if any, experienced in the production of records.	
(ञ) (j)	नियोजक की ओर से विशेष तौर पर रिकॉर्ड की निर्भरता के संबंध में सामान्य सार। General summing-up of the position employer's side, particularly in regard to dependability of records.	
(ट) (k)	निरीक्षक द्वारा आगामी निरीक्षण के समय अनुपालन आदि तथा कोई अन्य ध्यान में रखने योग्य मदें। Compliance etc. and points if any to be kept in mind by the Inspector at the time of subsequent inspection.	
(ठ) (l)	नियोजक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में सिफारिश, यदि कोई हो। Recommendation, if any, with regard to legal action against employer.	

"निगम हिंदी पत्राचार का स्वागत करता है"

भाग-घ

PART-D

निरीक्षक के निरीक्षण पर टिप्पणियाँ

Comments on Inspector's Inspection

1. विभिन्न मदों के तहत नियोजक द्वारा प्रस्तुत सूचना/ब्योरो में मदवार पाई गई विसंगतियाँ, यदि कोई हों।  
(यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त गीट संलग्न करें)  
Item-wise discrepancies, if any observed in the information/details furnished by the Inspector under different items. (attach additional sheet, if necessary)

क्र.सं. Sl.No.	मद की प्रकार Nature of Item	अवधि Period	लैजर फोलियो/वाउचर संख्या Ledger Folio/ Voucher No.	बीमा निरीक्षक द्वारा सूचित राशि Amount reported by the I.I.	अधिकारी द्वारा पाई गई राशि Amount observed by the officer.

2.	क्या विसंगतियों तथा चूकों में निरीक्षक की ओर से भारी लापरवाही तथा कर्तव्य की अवहेलना नजर आती है। Whether the discrepancies and omissions suggested gross negligence and dereliction of duty on the part of the Inspector	
3.	यदि विसंगतियाँ नहीं पायी गई हैं तो निरीक्षण करने वाले अधिकारी, निरीक्षण रिपोर्ट की गुणवत्ता पर अपनी अभ्युक्ति दें। If no discrepancies have been observed, the Inspecting Officer may give remarks on the quality of the Inspection report.	

दिनांक/Date:

स्थान/Place:

निरीक्षण करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर  
Signature of Inspecting Officer

कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION  
सर्वेक्षण रिपोर्ट/SURVEY REPORT

भाग-क/PART-A

1.	क्षेत्र/Region	2.	निरीक्षण डिवीजन/ Inspection Div.
3.	निरीक्षक का नाम Name of the Inspector	4.	सर्वेक्षण की तारीख Date of Survey
5.	पिछले सर्वेक्षण की तारीख Date of last Survey		
6.	फैक्टरी/स्थापना का नाम Name of the Factory/Estt.		
7.	राज्य, जिला सहित पूर्ण डाक पता Postal address including State Distt.		
8.	ताल्लुका/राजस्व ग्राम का नाम/हदबस्त संख्या Name of Taluka/Revenue Village/Hadbust No.		
9.	क्या कार्यान्वयन क्षेत्र में है, यदि हाँ, तो क्षेत्र का नाम Whether in the implemented area, if so, name of the area.		
10	(i) नियोजक की कोड संख्या, यदि पहले से व्याप्त है Employer's code no., if covered earlier.		
	(ii) पहले कारखाना/स्थापना को बंद किए जाने की तारीख Date from which earlier factory/estt.closed down.		
	(iii) क्या इसी स्थान/गाला में कोई अन्य कारखाना/स्थापना पहले कार्यरत था। यदि हाँ, तो आबंटित की गई कोड संख्या का ब्यौरा दें। Whether in the same place/Gala any other factory/ estt. was functioning earlier. If so, details of Code No. allotted, if any		
11.	कर्मचारी(यों) का नाम जिससे संपर्क किया Name & designation of the official (s) contacted.		

भाग-ख/PART-B

1.	(क) क्या यह एक सार्वजनिक अथवा निजी लिमिटेड कम्पनी/साझेदारी/स्वामित्व वाली/मालिकाना/ सहकारी संस्था है(संस्था के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद/साझेदारी विलेख/संकल्प की प्रति संलग्न करें)। Whether it is Public or Private Ltd. Company Partnership/Proprietorship/Co-operative Society/ Ownership (attach copy of Memorandum & Articles of Association/ Partnership Deed/Resolution		
	(ख) मौजूदा मालिक/प्रबंध निदेशक, निदेशक/प्रबंध साझेदारों/सहकारी समिति के सचिव का नाम, मौजूदा तथा स्थायी निवासीय पता दें। Give name, present & permanent residential address of present Proprietor/Managing Directors, Director/Managing Partners, Partners/Secretary of the Co-operative Society.		
2.	कारखाना/स्थापना के शुरू करने की तारीख Date of Start of factory/estt.		

3.	(क) (a)	कारखाना/स्थापना में चल रहे काम का स्वरूप Nature of work carried on in the factory/estt.		
	(ख) (b)	क्या विनिर्माण प्रक्रिया में शक्ति का प्रयोग किया जाता है। यदि हाँ, तो कब से (शक्ति से चलाई जाने वाली मशीन का ब्यौरा दिया जाए)। Whether power is used in the manufacturing Process. If so, since when (details of machine to be specified which are run by power).		
	(ग) (c)	कारखाने के परिसर/कारखाने के परिसर के बाहर आसन्न नियोजक के माध्यम से अथवा प्रधान नियोजक के पर्यवेक्षण में किये गये कार्य का स्वरूप। Nature of work performed through immediate employer at the factory premises/outside the factory premises or under the supervision of the Principal employer.		
4.	(क) (a)	क्या व्याप्ति योग्य है? यदि हाँ, तो संबंधित तारीखें जब फैक्टरी में 10/20 व्यक्ति या 10/20 से अधिक कर्मचारी नियोजित थे (आसन्न नियोजक द्वारा अस्थायी/अनियत तथा उजरती दर कर्मचारियों को शामिल करके)। Whether coverable? If so, relevant date when the factory had 10/20 or more than 10/20 employees (including temporary/casual and piece rated employees engaged by the immediate employer).		
	(ख) (b)	विनिर्माण प्रक्रिया के लिए शक्ति(पावर)के बारे में दस्तावेजी साक्ष्य का विवरण, मजदूरी पर नियोजित व्यक्तियों की संख्या जिस पर व्याप्ति आधारित है। Details of documentary evidence regarding use of power in manufacturing process, no. of employees employed for wages on which coverage is based.		
5.		अगर व्याप्ति योग्य नहीं है तो अव्याप्ति का स्पष्ट कारण बताएं। If no coverable please give the exact reason for non-coverage.		
6		क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधीन व्याप्त है? यदि हाँ, तो कोड संख्या और व्याप्ति की तारीख। If covered under EPF Act? if, so, Code No. and date of coverage.		
7.	(क) (a)	निरीक्षण किए गए रिकार्ड तथा रजिस्ट्रों की सूची और इनके निरीक्षण की अवधि। यदि निरीक्षण नहीं किया गया है तो इसके कारण तथा बकाया रिकार्ड अर्थात् अगले निरीक्षण की तारीख को निर्धारित करने आदि के लिए की गई व्यवस्था का उल्लेख करें। List of records and registers and period for which inspected, if not inspected, reasons thereto and arrangement made with the employer for inspection of the remaining records, viz. fixing of date of next inspection, etc.		
	(ख) (b)	रिकार्डों के उक्त सत्यापन से सामने आए विवरण/डाटा (महत्वपूर्ण सूचना को रिकार्ड किया जाये तथा नियोजक से सत्यापित करवाया जाए) Particulars/data emerged from the said verification of records (important information should be recorded and got attested by the employer).		

केवल उपांतिक(मार्जिनल) कारखानों के मामले में/IN CASE OF MARGINAL FACTORIES ONLY

8.	(क)	यदि कारखाने के परिसर में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या 10/20 या उससे अधिक केवल तब बनती है जब कार्यकारी साझेदारी/प्रबंधक/अंशकालिक कर्मचारियों अथवा सामान्य रूप से कारखाना परिसर के बाहर काम करने वाले कर्मचारियों को शामिल किया जाए तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के पूरे, किन्तु संक्षिप्त ब्योरे, उनके पदनाम सहित दें जो पुनः व्याप्ति की तारीख पर काम पर पाए गए हों (यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त कागज का प्रयोग करें)।  If the number of employees working in the factory premises comes to 10/20 or more only by inclusion of employees like working partners/Managers/Part-time employees or employees working ordinarily outside the factory premises, give full and precise particulars of each such person with their designations and found working on the date of re-coverage, (use extra sheet if necessary).		
	(ख)	ऐसे दस्तावेजों के ब्योरे दें, जिनसे यह पता चले कि उक्त कर्मचारी कारखाने के परिसर में कार्य कर रहे थे।  Give particulars of documents, which may show that the said employees were working in the factory premises.		
	(ग) (c)	अन्य कोई अभ्युक्तियाँ Any other remarks.		

स्थान/Place:

तारीख/Date:

बीमा निरीक्षक के हस्ताक्षर  
Signature of the Insurance Inspector